न्यायालय राजस्व मन्डल मध्यप्रदेश

प्र.क्र. /2002 निगरानी

धमून सिंह पुत्र पर्वत सिंह निवासी-सींगाखेडी
तहसील कोलारस जिला शिवपुरी

—प्रार्थी

विरुद्ध

1- सीताराम
2- धमन पुत्रगण कन्हैया
3- पुनिया
4- शकरिया
5- कलिया
6- सिंधिया पुत्रीगण रूपर

समस्त निवासीगण-ग्राम सींगाखेडी तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी

—–प्रतिप्रार्थीगण

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
9 APR 2002

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग,
आदेश दिनांक 30.03.2002 पारित प्र.क्र. 372/2000-2001
अपील, अन्तर्गत धारा 50 रे.को.

श्रीमान्,

प्रार्थी की निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

§1§ यहकि, अधिनस्थ अपर आयुक्त महोदय का आदेश विधि एवं अभिलेख के विपरीत तथा अनुचित होने से निरसन योग्य है।

§2§ यहकि, विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों को पलटने में अधिनस्थ अपर आयुक्त महोदय ने भूल की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला –शिवपुरी

प्रकरण कमांक निग0 847–पीबीआर/2002

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–07–2016	आवेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0 शर्मा उपस्थित । अनावेदक के अभिभाषक बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। 2/ आवेदक की ओर से अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आवेदक की अपील को इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके द्वारा प्रकरण में नामांतरण की मांग रजिस्ट्रेशन विक्रय पत्र के आधार पर नहीं किया गया है । आवेदक अभिभाषक द्वारा कहा गया है कि आवेदक को तकनिकी के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। अधिवक्ता द्वारा तलवाना प्रस्तुत न करने के कारण उसे न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्क सुने गये एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण का अवलोकन किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मात्र रजिस्ट्रेशन विक्रय पत्र प्रस्तुत न करने के कारण प्रथम पेशी पर ही प्रकरण निरस्त कर दिया गया है जो मेरे मतानुसार उचित नहीं है। 4/ भूमिस्वामियों की भूमि पर अन्य व्यक्ति के कब्जे का खसरे में इन्द्राज करने विषयक परिपत्र जारी किया गया है । उक्त परिपत्र में यह	

उल्लेखित है कि मध्यप्रदेश भू–अभिलेख नियमावली भाग 1 के अध्याय 5 की कंडिका 5 में दिये निर्देश के आधार पर पटवारियों के दुबारा गिरदावरी के समय खसरे पाना भी 12 में यदि भूमि स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है तो यह लिख दिया जाता है । इस बारे में संभवतः भूमिसवामी को यह शिकायत रहती है कि उसे बिना बताए ही दूसरे व्यक्ति का कब्जा उसको भूमि के सामने अंकित कर दिया गया है । यह भी देखा गया है कि कब्जे के बारे में मत प्रविष्टि किए जाने के कारण कृषकों को अकारण मृद्द से बाजी में फॅसना पड़ता है । कभी–कभी समय पर जानकारी न होने के कारण उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है । उपर्युक्त स्थिति के प्रयास में शासन ने पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि म0प्र0 भू–अभिलेख नियमावली भाग 1 के अध्याय 5 में खसरे के खाना क्रमांक 12 में कब्जे के बारे में प्रविष्टि करने के संबंध में संशोधन किया जाये । तद्नुसार निम्न संशोधन किया जाता है जो कि उक्त अध्याय की कंडिका 6 के बाद 6"अ" के रूप में जोड़ा जाये। खसरा में कब्जा लिखने की प्रक्रिया:– " कंडिका 6–अ– ज्यों ही पटवारी भूमिस्वामी को भूमि में किसी अन्य के कब्जे को देखेगा, वह ऐसे कब्जे की सूचना भूमिस्वामी और यदि संयुक्त खाता हो तो किसी हिस्सेदार को एक सप्ताह के अन्दर लिखित में देगा और उसकी/उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा । इस

प्रकार पाए गये कब्जे की ग्रामवार सूची तैयार करेगा और खसरे की नकल के साथ गिरदावरी कर लेने के पश्चात 15 दिन के अन्दर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तहसीलदार को प्रेषित करेगा । तहसीलदार ऐसी सूचियां प्राप्त होने पर ग्रामवार अलग–अलग धारा 113 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्ररकण क्रमांक पंजीयन करेगा । यह भूमियों को आहूत करेगा, और यदि आवश्यक हुआ तो सरसरी जांच भी करेगा । इस प्रकारण प्रकरण सुनिश्चित कर लेने पर अभिप्रमाणित करेगा और अन्य स्थिति में अपनी जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर पटवारी द्वारा की गई प्रविष्टियां की हैं तो वह उन्हें अभिप्रमाणित करेगा और अन्य स्थिति में अपनी जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर पटवारी द्वारा की गई प्रविष्टि में अपने हस्ताक्षर के अधीन परिवर्तन करेगा । ऐसे सभी प्रकरण यथा शीघ्र एवं अनिवार्य रूप से अगले कृषि वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व निपटा दिए जायेगें । उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा । सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खसरे के खाना क्रमांक 12 में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया का अनुसरण तुरंत करने की कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया जाये ।

5/ इस प्रकार शासन द्वारा किसी भूमिस्वामी की भूमि पर अन्य व्यक्ति की कब्जे करने की पूरी प्रक्रिया से वर्णित है, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में उक्त शासन के निर्देश के अनुरूप भी कार्यवाही

किया जाना नही पाया जाता। अतएव यदि मात्र कब्जे को दर्ज करने की कार्यवाही किया जाना है तो उक्त परिपत्र के प्रकाश में ही कार्यवाही की जा सकती है और यदि रजिस्ट्रड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कराये जाना अपेक्षित हो तो संबंधित पक्षकार तदानुसार नामांतरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त व्याख्या के आलोक में प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य